न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

अजमेर /अपील / सी.ए संख्या ....4..... /2026

2026/4

1. श्री रघुनाथ पुत्र स्व. श्री घासी पौत्र स्व. श्री लादू जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।

---- अपीलांट

बनाम

1. श्रीमति तीजी पत्नि स्व. श्री घासी पुत्रवधु स्व. श्री लादू जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
2. श्रीमति लाली देवी पुत्री स्व. घासी पौत्री स्व. श्री लादू पत्नि श्री सत्यनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर हाल निवासी - मु ग्राम रायमला पोस्ट लीडी वाया मांगलियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
3. श्रीमति रतनी देवी पुत्री स्व.श्री लादू पत्नि स्व. श्री मागूं जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
4. श्री भारमल पुत्र धूला माता केसर देवी पुत्री स्व. श्री लादू जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम नारेली तहसील व जिला अजमेर।
5. श्री मांगी लाल पुत्र स्व. श्री पांचू माता जमनी देवी पुत्री स्व. श्री लादू
6. तेजा राम पुत्र स्व. श्री पांचू माता जमनी देवी पुत्री स्व. श्री लादू

4/2026
02/01/26

राजस्व अपील अधिकारी अजमेर
(02/01/26)

Raghunath

क्रम संख्या 5 व 6 जाति गुर्जर, निवासीगण - ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर हाल निवासी हाल ग्राम बंवाल तहसील परबतसर जिला नागौर।

7. श्री लाला राम पुत्र स्वत्र श्री मांगू माता किसनी देवी पुत्री स्व. श्री लादू

8. श्री बुद्धराम पुत्र स्व. श्री मांगू माता किसनी देवी पुत्री स्व. श्री लादू क्रम संख्या 7 व 8 जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर हाल निवासी मु. गढ्ढी गुजरान पोस्ट पिचौलिया तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

9. श्री भंवरलाल पु. स्व. श्री जोधा जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।

10. अदीय भारद्वाज पुत्री प्रशान्त भारद्वाज जाति ब्रहामण निवासी एल.आई.सी कॉलोनी आनासागर सरक्यूलर रोड जिला अजमेर।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर।

12. श्री मान् आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर जिला अजमेर।

13. श्रीमान् उप पंजीयक कार्यालय प्रथम / द्वितीय अजमेर तहसील व जिला अजमेर।

<u>-------- रेस्पोडेन्ट्स</u>

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्धान सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर के आदेश दिनांक 26.07.2024 प्रार्थना पत्र संख्या 65/2024</u>

Raghunath

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रघुनाथ बनाम तीजी वगैरह

किस्म मुकदमाः— 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 4 / 2026 (अजमेर)

विनाश 5/01/26

	श्री दिनेश शर्मा	
02.01.2026	रघुनाथ बनाम तीजी वगैरह (2026 / 4) यह अपील श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर मु0, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 65 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 05.01.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
05.01.2026	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर मेरिट पर किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट / प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण में नियत तारीख पेशी प्रदान की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। **अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्षकारन को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA